## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 75/2021

निर्णय दिनांक: 25.02.2022

ऑनलाईन नम्बर 2021/178

जेठाराम पुत्र जैताराम जाति बावरी निवासी आडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़

–वादी–

बनाम

1. लाभूराम
2. उमा
3. देवकी
4. नारायणी

पुत्र/पुत्रियां जैताराम जाति बावरी निवासी आडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ – प्रतिवादी–

उपस्थिति:–

1. श्री साजिद खान अभिभाषक वादी
2. श्री अबरार अहमद अभिभाषक वादी संख्या 1 ता 4

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

यह वाद जेठाराम ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी क सगे भाई पूनमचन्द पुत्र जैताराम जाति बावरी निवासी आडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 325/164 तादादी 1.61 हैक्टेयर वाकेरोही उदासर चारणान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। यह है कि वादी के भाई पूनमचन्द ने अपनी उपरोक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 325/164 तादादी 1.61 हैक्टेयर वाकेरोही आडसर को जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 23.04.2021 को वादी के पक्ष मे उपहार कर दिया व कब्जा वादी को सुपुर्द कर दियां वादी के भाई पूनमचन्द की मृत्यु दिनांक 08.05.2021 को हो चुकी है। यह है कि उपरोक्त खसरा भूमि का उपहार पत्र वादी के पक्ष में होने के बाद वादी ने तहसील कार्यालय में जाकर इत्काल दर्ज करवाना चाहा तो तहसील कार्यालय में कर्मचारियों ने कहा कि अभी लोकडाउन चल रहा है व पटवारियों की हड़ताल चल रही है इसलिए बाद में आना। इस दरम्यान प्रार्थी के भाई पूनमचन्द की मृत्यु हो गई और प्रार्थी सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से घर से बाहर नहीं निकल सका। यह है कि अभी जुलाई 2021 में वादी ने अपने नाम उपहार पत्र के आधार पर उक्त खेत का इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ में आकर उक्त खेत की कम्प्यूटर से नकल निकलवाई तो वादी को पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वादी के भाई पूनमचन्द द्वारा उपहार किएं गये खेत खसरा नम्बर 325/164 वाकेरोही आडसर की भूमि का बिल्कुल ही गलत रू॰ से विरास्तन इन्तकाल दर्ज कराने हेतु आवेदन कर रखा है तथा उक्त आवेदन पर ऑन लाईन जमाबन्दी में नामान्तरणकरण संख्या 301 दिनांक 11.07.2021 विरास्तन पूनमचन्द पुत्र जैताराम के स्थान पर उमा पुत्री जैताराम, लाभूराम पुत्र जैतारा म का नामान्तरणकरण प्रक्रियाधीन होने का नोट लगा हुआ है। वादी को इस बात की जानकारी होने [illegible] वादी ने दिनंक 05.08.2021 को एक लिखित प्रार्थना पत्र मय जमाबंदी, उपहार [illegible] प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रतियां प्रतिवादी संख्या 5 के कार्यालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि – "[illegible] खेत का खातेदार पूनमचन्द मेरा भाई रहा है जिसकी [illegible] दिनांक 08.05.2021 [illegible] चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मेरे भाई बहिन है परन्तु मेरे भाई पूनमचन्द ने अपने जीवनकाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:18:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मे अपने खातेदारी के उक्त खेत का रजिस्टर्ड उपहार पत्र के द्वारा मेरे पक्ष में उपहार कर दिया था इसलिए उपहार पत्र के आधार पर उक्त खेत का इन्तकाल मेरे नाम से दर्ज होना चाहिए था। मेरे अन्य भाई बहिनों ने गलत रूप से विरासतन इन्तकाल कार्यवाही का आवेदन किया है जिसकी प्रक्रियाधीन इन्तकाल कार्यवाही को रोका जावे व मेरे नाम इन्तकाल की कार्यवाही अमल में लाई जावे।" तो प्रतिवादी संख्या 5 ने कहा कि नामान्तरणकरण प्रकिया प्रारम्भ हो चुकी है इसलिए मैं इस कार्यवाही को रोक नहीं सकता, आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ तभी ऐसा संभव हो सेगा। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने भी दिनांक 05.08.2021 को इस बाबत ओलमा दिया कि जब मेरे भाई पूनमचन्द ने उक्त खेत का उपहार पत्र के द्वारा मेरे पक्ष में उपहार कर दिया तो आपने उक्त खेत बाबत विरासतन इन्तकाल की कार्यवाही हेतु आवेदन कैसे कर दिया तो प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने कहा कि हमने तो विरासतन इन्तकाल की कार्यवाही कर दी है व हमउ क्त खेत का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाकर ही रहेंगे, तेरे अकेले के नाम दर्ज नहीं होने देंगे, ऐसी स्थिति में वादी के पास प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। वादगत खेत पर वादी का कब्जा काश्त व उपयोग पभोग चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 गलत रूप से उक्त खेत का विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाने पर आमादा हो रहे है जबकि उक्त खेत का रजिस्टर्ड उपहार पत्र वादी के पक्ष में करवाया हुआ है जिसके आधार पर इन्तकाल दर्ज होना चाहिए था। कानूनन राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित लेख्य पत्रों की एक प्रति स्वतः ही एल.आर.ऑफिस में चली जाती है परन्तु प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा इस और कोई गौर नहीं किया जा रहा है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के उक्त गलत विरासतन इन्तकाल आवेदन पर ज्यादा ध्यान दे रहे है। वादी कानूनन रजिस्टर्ड उपहार पत्र के आधार पर वादगत खेत की खातेदारीअपने नाम राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी के लिखित निवदेन दिनांक 05.08.2021 व मौखिक निवेदन को नहीं मान रहे है। इसी दिनांक से वादी को वादगत खेत बाबत् वाद हेतु हासिल है व वादगत खेत वादी को जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र द्वारा हासिल होने व वादी का ही कब्जा काश्त व उपयोग चले से वादगत खेत बाबत वादाधार हासिल है। वादगत खेत का उपहार पत्र वादी के भाई पूनमचन्द द्वारा दिनांक 23.04.2021 को वादी के पक्ष में किया हुआ है। प्रतिवादीगण गलत कार्यवाही (विरासतन इन्तकाल कार्यवाही) को अंजाम देने पपर आमादा हो रहे है व वादी को बेदखल करने की भी धमकियां दे रहे है अगर प्रतिवादीगण अपने गलत मन्सूबों में सफल हो गये तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रतिवादी के गलत कार्यो को रोका जाना आवश्यक हो गया है इसलिए वादी के पास प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा का दावा लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। दावा घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का है जिसमें स्टेट लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है। स्टेट के विरूद्ध दावा पेश करने से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस देने का प्रावधान है। वादी का दावा अर्जेन्ट नेचर का है, अगर 2 माह का नोटिस देकर दावा पेश किया जावेगा तो प्रतिवादीगण वादगत खेत के सम्बन्ध में गलत रूप से प्रक्रियाधीन कार्यवाही को अंजाम दे देंगे व उस स्थिति में वादी को भारी नुकसान होगा ऐसी स्थिति में इसलिए धारा 80 (2) सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नोटिस की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कर[illegible] है। वादगत खेत रोही ग्राम उदासर चारणान तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित [illegible] श्रीमानजी को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकर हासिल है व वादी का [illegible] कोर्ट फीस पर श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:18:37 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(क) कि खेत खसरा नम्बर 325/164 तादादी 1.61 हैक्टेयर वाकेरोही उदासर चारणान तहसील श्रीडूंगरगढ़ का वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 23.04.2021 के आधार पर वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार वादी का नाम दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 5 को दिया जावें।

(ख). कि खेत खसरा नम्बर 325/164 तादादी 1.61 हैक्टेयर वाकेरोही उदासर चारणान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा विरासतन इन्तकाल कार्यवाही के आवेदन पर प्रक्रियाधीन नामान्तरणकरण संख्या 301 दिनांकित 11.07.2021 की कार्यवाही को तुरन्त रोकने का आदेश प्रतिवादी संख्या 5 के नाम जारी किया जावे व प्रतिवादी 1 ता 4 को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो खेत खसरा नम्बर 325/164 तादादी 1.61 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम उदासर चारणान के सम्बन्ध में उक्त गलत विरासतन इन्तकाल कार्यवाही के आधार पर किसी को भी विक्रय, रहन, वैय दीगर प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें, ना ही वादी के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से दखल देंवे ना ही वादी के कब्जा काश्त में प्रवेश करें ना ही वादी के कब्जे काश्त की फसल को खुर्द बुर्द करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें जिसे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावे वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।

(घ) कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाल जवाबदावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगणों को जरिये राजीनामें/इकबाली जवाब से वाद को स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

## निर्णय

खेत खसरा नम्बर 325/164 तादादी 1.61 हैक्टेयर वाकेरोही उदासर चारणान तहसील श्रीडूंगरगढ़ का वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 23.04.2021 के आधार पर वादी के नाम खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालाना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.22 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:18:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)